प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 19.08.2025

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान मोबाइल फोन छीनने की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 मोबाइल फोन व 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 18.08.2025 की रात्रि में थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु भिक्कनपुर अण्डरपास के पास चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा एक मोटरसाइकिल पर सवार संदिग्ध व्यक्ति को रूकने का इशारा किया गया परंतु पुलिस टीम के इशारे पर न रूकते हुए भागने लगा तथा पुलिस टीम द्वारा उसका पीछा किया तो उस व्यक्ति द्वारा अपने को घिरता देख कुछ दूरी से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुये आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में फायर किया जिसमें अभियुक्त के पैर मे गोली लगी जिससे अभियुक्त घायल होकर नीचे गिर गया। पुलिस टीम द्वारा मौके से अभियुक्त को घायल अवस्था में पकड़ लिया गया। घायल अभियुक्त ने अपना नाम समीर पुत्र असलम नि0 जीतपुर मौ0 मलिक नगर कस्बा व थाना मुरादनगर जिला गा0बाद उम्र करीब 24 वर्ष बताया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व छिनैती का मोबाइल फोन बरामद हुआ। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि आज से करीब 02 माह पूर्व मेरे द्वारा हिसाली से बसंतपुर सैंथली जाने वाले रास्ते पर मन्दिर के सामने से एक व्यक्ति से ओप्पो का मोबाइल फोन छीना था जिसे मैंने राह चलते अनजान व्यक्ति को बेच दिया था तथा करीब 09 दिन पहले दुहाई अंडर पास से एक व्यक्ति से एप्पल का मोबाइल फोन को छीनने की घटना स्वीकार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

समीर पुत्र असलम नि0 जीतपुर मौ0 मलिक नगर कस्बा व थाना मुरादनगर जिला गा0बाद उम्र करीब 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त समीर उपरोक्त के विरूद्ध पूर्व में करीब 07 अभियोग हत्या का प्रयास और लूट से सम्बन्धित पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम ।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान हत्या के प्रयास में एक बाबरिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 स्कूटी बरामद।

आज दिनांक 18/8/2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम जेल नाहल रोड पर स्थित मसूरी झील कट के पास चेकिंग कर रही थी तभी एक स्कूटी सवार संदिग्ध व्यक्ति नाहल झाल की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया जिसे रुकने का इशारा पुलिस पार्टी द्वारा किया गया तो उसके द्वारा स्कूटी न रोककर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए स्कूटी मोड कर भागने लगा। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में उसके दोनों पैरों में गोली लगी जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम छोटू उर्फ श्याम पुत्र सरनाम निवासी न्यू विकास नगर लोनी बताया। अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। अभियुक्त थाना मसूरी से वांछित चल रहा था। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता

छोटू उर्फ श्याम पुत्र सरनाम मूल निवासी आजाद नगर भरतपुर राजस्थान हाल पता न्यू विकास नगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

अवैध 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर
व 01 स्कूटी टीवीएस बिना नंबर प्लेट बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम

बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस का विशेष अभियान।

पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद महोदय के निर्देशानुसार, गाजियाबाद यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं यातायात नियमों का शत-प्रतिशत पालन कराये जाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत बिना हेलमेट दो-पहिया वाहन चलाने वाले चालकों एवं पीछे बैठी सवारी द्वारा हेलमेट का प्रयोग न करने वालों के विरुद्ध प्रमुख स्थानों यथा:- पुलिस लाइन गेट, हापुड़ चुंगी, मोहननगर चौराहा, लाल कुआँ, पुराना बस अड्डा, राज चौपला मोदीनगर एवं लोनी तिराहा पर प्रभावी चेकिंग की गयी।

अभियान का पर्यवेक्षण स्वंय अपर पुलिस उपायुक्त-यातायात एवं संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त-यातायात द्वारा भ्रमणशील रहकर किया गया। उच्चाधिकारियों के निर्देशन में सभी यातायात निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक गणों के द्वारा प्रभावी एवं सघन चेकिंग करते हुए कार्यवाही के दौरान कुल **1,468 वाहनों के विरुद्ध चालान** की कार्यवाही

के साथ-साथ बिना हेलमेट दो-पहिया वाहन चलाने वाले कुल **55 पुलिस कर्मियों** के विरुद्ध भी चालान की कार्यवाही की गयी। चालान की कार्यवाही के साथ साथ पुलिस द्वारा दो-पहिया वाहन चालकों एवं पीछे बैठी सवारियों को सदैव हेलमेट का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।

यह अभियान आगे भी ***सतत रूप से जारी रहेगा*** ताकि दुर्घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित की जा सके एवं सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में गुणात्मक सुधार लाया जा सके।

अपील:-

यातायात पुलिस समस्त नागरिकों से निवेदन करती है, कि दोपहिया वाहन चलाते समय चालक एवं पीछे बैठी सवारी दोनों के लिए हेलमेट का धारण करना अनिवार्य है। **हेलमेट का प्रयोग पुलिस से बचने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन की सुरक्षा के लिए अवश्य करें।**

अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात
कमिश्नरेट-गाजियाबाद।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार तथा निशांदेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू बरामद ।

आज दिनांक 19.08.2025 को थाना अंकुर विहार पर वादी श्री विमलेश पुत्र राम आश्रय निवासी खसरा नं0 332 निकट राधिका वाटिका, इलाचीपुर रामपार्क विस्तार, थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि मेरी पुत्री कविता को उसके पति सुमित गुप्ता पुत्र राजू गुप्ता निवासी अंकुर इन्कलेव, अंकुर विहार गाजियाबाद द्वारा सिर, गर्दन व शरीर के अन्य हिस्से पर प्रहार कर हत्या कर देना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की तलाश हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया । सर्विलांस व विवेचनात्मक कार्यवाही से मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आयुध अधि0 की वृद्दि की गयी ।

तत्पश्चात थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त सुमित गुप्ता पुत्र राजू गुप्ता निवासी अंकुर इन्कलेव थाना अंकुर विहार गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम गंगीरी थाना गंगीरी जनपद अलीगढ उम्र 25 वर्ष को लाल बाग ठेके के पास, थाना क्षेत्र अंकुर विहार गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की निशादेही पर अभियुक्त के घर अंकुर इन्कलेव थाना अंकुर विहार से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू बरामद किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ की गई तो अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि साहब मेरी शादी करीब 02 वर्ष पूर्व कविता के साथ हुई थी । शादी के करीब 3 माह बाद ही मै एक मुकदमें में जेल चला गया था और करीब 03 -04 महिने पहले ही जेल से छुटकर वापस आया था । मेरे जेल से वापस आने के बाद से हम दोनो पति पत्नी के बीच अक्सर घरेलू बातों को लेकर लडाई झगडे होते रहते थे । कल रात भी हम दोनो के बीच लडाई हुई थी और उसी दौरान गुस्से में आकर मैने इसी चाकू से अपनी पत्नी कविता के सिर, गर्दन व शरीर के अन्य जगहो पर चाकू से वार कर दिये थे जिससे कविता की मृत्यु हो गयी थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुमित गुप्ता पुत्र राजू गुप्ता निवासी अंकुर इन्कलेव थाना अंकुर विहार गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम गंगीरी थाना गंगीरी जनपद अलीगढ उम्र 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त सुमित गुप्ता उपरोक्त के विरुद्ध जनपद सिरसा हरियाणा में धोखधडी का 01 अभियोग, जनपद बस्ती में धोखाधडी का 01 अभियोग तथा थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

निशांदेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू बरामद।

गिरफ्तार/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध एक तमंचा.315 बोर बरामद।

आज दिनांक 19.08.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शस्त्र के साथ 01 अभियुक्त सौरव पूनिया पुत्र विजय सिंह निवासी जी.डी.ए. फ्लैट टीला शहबाजपुर थाना लोनी बोर्डर कमि0 गाजियाबाद, मूल निवासी ग्राम कपूरपुर थाना गजरौला जिला अमरोहा उम्र 28 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अवैध एक देशी तमंचा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर शस्त्र अधिनियम की धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने लोगों में अपना रौब दिखाने के लिये ये अवैध तमंचा अपने पास रखा हुआ था जिसको लेकर मैं बाहर निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

सौरव पूनिया पुत्र विजय सिंह निवासी जी.डी.ए. फ्लैट टीला शहबाजपुर थाना लोनी बोर्डर कमि0 गाजियाबाद, मूल निवासी ग्राम कपूरपुर थाना गजरौला जिला अमरोहा उम्र 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त उपरोक्त पर पूर्व में थाना लोनी बॉर्डर पर मारपीट का 01 अभियोग पंजीकृत है व 01 अभियोग शस्त्र अधिनियम का पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.06.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की पोती को बहला-फुसलाकर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा-137(2) बीएनएस

के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। पीडिता की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीडिता के बयानों के आधार पर अभियुक्त विवेक पुत्र बब्लू निवासी न्यू राम प्रस्थ विहार बन्द फाटक किराये का मकान थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद का नाम प्रकाश में आया। जिसको आज दिनांक 19.08.2025 को उपरोक्त अभियोग में गिरफ्तार किया गया। अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया गया है साहब मेरी वादी की पोती से दोस्ती थी। जिसे लेकर मैं चला गया था। हमारे बीच शारीरिक सम्बन्ध भी बने थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विवेक पुत्र बब्लू निवासी न्यू राम प्रस्थ विहार बन्द फाटक किराये का मकान थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामद।

आज दिनांक 19.08.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान कन्ट्रोल रूम से सूचना मिली कि 01 व्यक्ति अपने बड़े भाई को चाकू लेकर मारने के लिए जा रहा है, उपरोक्त सूचना पर पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुये चौकी क्षेत्र सिग्नेचर सिटी से अवैध 01 अदद चाकू के साथ अभियुक्त राजू पुत्र सुखरंजन नि0 गढ्ढा कालोनी नसीब विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 34 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरादगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा-4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे बडे भाई से मेरी कहासुनी हो गयी थी तथा मेरे भाई ने मेरी काफी बेईज्जती कर दी थी, जिस कारण मुझे काफी गुस्सा आ गया था, मै यह चाकू दिल्ली कबाड़ी बाजार से खरीद कर लाया था। मैं चाकू दिखाकर अपने भाई को ड़राना चाहता था तथा चाकू अपने पास रखके लोगो को डराता धमकाता था। आज यह चाकू लेकर मैं घूम रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजू पुत्र सुखरंजन नि0 गढ्ढा कालोनी नसीब विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 34 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

अवैध 01 अदद चाकू बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त राजू के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 19.08.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा रात्री गस्त/चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त हरेन्द्र पुत्र कृष्णपाल हाल निवासी गली नं0-12 खजूरी खास दिल्ली मूल निवासी ग्राम किनौनी थाना रोहटा जनपद मेरठ उम्र करीब 40 वर्ष को ग्रीन बेल्ट रोड पर मेरठ एक्सप्रेस वे की तरफ से कनावनी पुलिया की तरफ आने वाले रोड पर शमशान घाट शक्तिखण्ड 4 के सामने से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की दो पहिया वाहन स्कूटी बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त हरेन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः – गिरफ्तार अभियुक्त हरेन्द्र उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त हरेन्द्र से बरामद उक्त स्कूटी को करीब दो महीने पहले दिल्ली से चोरी किया था। जिसे आज दिनांक 19.08.2025 को बेचने की फिराक में शमशान घाट शक्तिखण्ड 4 के आस-पास घूम रहा था। जिसे चेकिंग / गस्त के दौरान पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

हरेन्द्र पुत्र कृष्णपाल हाल निवासी गली नं0-12 खजूरी खास दिल्ली मूल निवासी ग्राम किनौनी थाना रोहटा जनपद मेरठ उम्र करीब 40 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की एक स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त हरेन्द्र के विरूद्ध थाना कौशाम्बी पर माल बरामदगी का 01 अभियोग, थाना सिहानी गेट पर चोरी का 01 अभियोग, आयुद्ध अधिनियम का 01 अभियोग, थाना कोतवाली जनपद हापुड में धोखाधड़ी का 01 अभियोग व थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत कुल 05 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग का शीघ्र अनावरण करते हुए महिला अभियुक्ता सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तों की निशादेही पर आलाकत्ल तकिया बरामद।

दिनांक 06.08.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव चित्रावन सोसायटी से क्रॉसिंग गोल चक्कर की तरफ जाने वाले रास्ते के साईड में पडा है, इस सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग

रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा शव का पंचायतनामा/पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गयी तथा मृतक की जेब से उसका आधार कार्ड व एक मोबाइल फोन व बराबर में उसका बैग रखा मिला। आधार कार्ड से मृतक का नाम रोहित पुत्र इन्दर निवासी ग्राम नवल सूरजपुर थाना किठोर जिला मेरठ होना पाया गया। शव पर कही कोई चोट के निशान न होने के कारण प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मृतक रोहित उपरोक्त की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में हुई है, परन्तु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण दम घुटने से होना पाया गया, जिससे स्पष्ट हो गया कि मृतक रोहित की किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दम घोट कर उसकी हत्या कर दी है तथा उक्त सम्बन्ध में मृतक रोहित के पिता श्री इन्दर निवासी ग्राम नवल सूरजपुर थाना किठोर जिला मेरठ द्वारा दिनांक 17.08.25 को अपने पुत्र की किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या करने के सम्बन्ध लिखित सूचना दी गयी। उपरोक्त घटना के अनावरण हेतु व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 04 टीमों का गठन किया गया तथा घटना स्थल के आस-पास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक किया गया तथा मैनुअल इन्पुटस व सर्विलान्स के आधार पर घटना का शीघ्र सफल अनावरण किया गया।

आज दिनांक 19.08.2025 को उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण (1) बेबी कुमारी पत्नी रवि निवासी संजय के मकान में किराये पर सोनी महल के पास शान्ति नगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष (2) संजय कुमार पुत्र बनारसीदास निवासी म0न0 245 न्यू शांति नगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 49 वर्ष को रिछपाल गढी की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्ता बेबी कुमारी की निशादेही पर आलाकत्ल तकिया बरामद किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त बेबी कुमारी द्वारा पूछताछ पर बताया कि मेरा पति रवि शराब पीने का आदि था तथा मुझसे आये दिन झगडता रहता था, जिसके चलते मैं रवि को छोडकर गाजियाबाद आकर किराये पर रहने लगी तथा यहां घरों मे काम करके अपना गुजारा कर रही थी। इसी बीच मेरी मुलाकात रोहित से करीब 04-05 साल पहले हुई जब से हम दोनों पति-पत्नी की तरह रह रहें थे। मृतक रोहित दिनांक 05.08.2025 शाम को करीब 5.30 बजे मेरे पास आया। रोहित और मेरा पिछले 02-03 हफ्ते से झगड़ा चल रहा था क्योंकि रोहित मुझसे से शादी करने की जिद करने लगा था इसलिए में अक्सर रोहित से झगड़ा करती रहती थी। मेरे मकान मालिक संजय के साथ अवैध संबंध थे। मैं संजय के साथ उसके घर में रहना चाहती थी। संजय की पत्नी अधिकतर अपने घर से बाहर रहती थी। घटना की दिनांक 05.08.2025 को जब रोहित काम से वापस घर आया तो मुझसे अपने घर चलने की जिद करने लगा लेकिन मै मना करती रही समय लगभग 19.00 बजे मकान मालिक संजय जो कि जल प्लांट में गार्ड की नौकरी करता है वापस घर आया। मैने रोहित से झगड़ा करना शुरु कर दिया समय लगभग 11 के करीब संजय भी ऊपर आ गया और हम दोनो ने मिलकर रोहित को गिरा लिया और तकिया से काफी देर तक उसका मुंह व नाक जोर से दबा लिए जब वह मर गया तो शव को ठिकाने लगाने के लिए रात्रि में ई-रिक्शा को यह कहकर बुलाया कि हमारे परिवार का एक व्यक्ति बीमार है जो बेहोश हो गया है, इसको डाक्टर के पास लेकर जाना है हालत गंभीर है तथा शव को चित्रावन सोसायटी के पास ई-रिक्शा से ले गये उसके बाद ई-रिक्शा चालक से संजय ने कहा कि बस मरीज को यही छोड दो और मैडम को घर छोड दो, मै 108 नम्बर से एम्बुलेन्स को फोन करके बुला लुंगा। उसके बाद अभियुक्त संजय ने रोहित को चित्रावन सोसायटी के पास सडक के किनारे रखकर तथा मृतक का बैग भी उसके पास रखकर अपने घर चला गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता–

(1) बेबी कुमारी पत्नी रवि निवासी संजय के मकान में किराये पर सोनी महल के पास शान्ति नगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष।

(2) संजय कुमार पुत्र बनारसी दास निवासी म0न0 245 न्यू शांति नगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 49 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर हत्या से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी विवरण

अभियुक्तगण की निशादेही पर आलाकत्ल तकिया बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

पुलिस आयुक्त,गाजियाबाद के निर्देशन में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एवं समस्याओं के दृष्टिगत "वरिष्ठ नागरिक सेल" का गठन

दिनांक 19.08.2025 को पुलिस आयुक्त,गाजियाबाद के निर्देशन में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एवं समस्याओं के शीघ्र व त्वरित समाधान के दृष्टिगत "वरिष्ठ नागरिक सेल" का गठन किया गया है। वरिष्ठ नागरिक सेल सम्पूर्ण कमिश्नरेट गाजियाबाद के वरिष्ठ नागरिक सम्बन्धी समस्याओं / शिकायतों व अपराधों के समाधान/अनावरण हेतु नोडल सेल के रूप में कार्य करेगी। इसके गठन के मुख्य उद्देश्य हैं –

- कमिश्नरेट में पूर्व से प्रचलित **"ऑपरेशन सवेरा"** की कार्यवाही को और अधिक प्रभावी व सक्रिय बनाना।
- वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना, विशेषकर उन मामलों में जहाँ वे अकेले रहते हैं या किसी खतरे का सामना कर रहे हों।
- वरिष्ठ नागरिकों को अपराध, धोखाधड़ी, और उपेक्षा से बचाने के लिए विशेष निगरानी और सहायता प्रदान करना।
- नियमित रूप से वरिष्ठ नागरिकों से संपर्क करना, उनकी समस्याओं को सुनना और समाधान करना।
- बुज़ुर्गों और पुलिस के बीच विश्वासपूर्ण संबंध बनाना ताकि वे बिना झिझक अपनी समस्याएँ साझा कर सकें।

श्रीमती कल्पना सक्सेना,अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय की देख-रेख में उपरोक्त सेल संचालित रहेगी तथा सेल के कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु पुलिस उपायुक्त,मुख्यालय, अपर पुलिस उपायुक्त,प्रोटोकॉल एवं सहायक पुलिस आयुक्त, महिला अपराध को नामित किया गया है। इनके द्वारा नोडल सेल के रूप में निम्नलिखित कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाएगा-

- कमिश्नरेट के प्रत्येक थाने पर वरिष्ठ नागरिकों हेतु उपनिरीक्षक स्तर का एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा,जो वरिष्ठ नागरिकों से सीधे संपर्क में रहेंगे।
- थानों पर नियुक्त बीट प्रभारी द्वारा अपने बीट क्षेत्र में भ्रमण कर वरिष्ठ नागरिकों से सम्पर्क कर उनकी समस्याओं आदि के बारे में जानकारी कर थाना प्रभारी को अवगत कराएंगे तथा थाना प्रभारी उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करेंगे।
- थाने पर आने वाले प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक का सम्मानपूर्वक स्वागत किया जाएगा और उनकी शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

- वरिष्ठ नागरिकों का डाटा बेस - नाम, पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि एवं पारिवारिक विवरण सहित प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक का अद्यतन विवरण थानों में सुरक्षित रखा जाएगा।
- प्रत्येक थाने पर एक वरिष्ठ नागरिक शिकायत रजिस्टर बनाया जाएगा, जिसमें थाने पर आने वाले वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों का विवरण दर्ज किया जाएगा तथा प्राथमिकता पर शिकायतों का निस्तारण करते हुए उसका विवरण भी अंकित किया जाएगा।
- प्रत्येक थाने पर एक वरिष्ठ नागरिक अपराध रजिस्टर बनाया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध हुए संज्ञेय अपराधों का विवरण दर्ज किया जाएगा,जिसकी विवेचना व अनावरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा तथा पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा प्राथमिकता पर सम्यक समीक्षा की जायेगी।

यह व्यवस्था गाज़ियाबाद पुलिस की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा और सुविधा प्रदान करना सर्वोच्च लक्ष्य है।

पुलिस विभाग वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और यह प्रतिबद्धता केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवहार और सेवा में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।